मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 92 /01 सामान्य पत्रावली /14 देहरादून, दिनांक 25 जनवरी, 2017

: कार्यालय ज्ञाप :

फील्ड स्तर पर सम्पादन किये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप न होना, वित्तीय अनियमितता होना, पर्यवेक्षण कार्य में लापरवाही परिलक्षित होने आदि के शिकायत होने के कारणों से की गयी जांच के निष्कर्षों के आधार पर शासन स्तर से अनुशासनिक जांच संस्थित की जाती हैं। अनुशासनिक जांच संस्थित किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध आरोप–पत्र गठित किये जाने के आदेश विभागाध्यक्ष कार्यालय को दिये जाते हैं।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि आरोप पत्र गठित करते समय खण्डीय स्तर पर वांछित प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का अध्ययन एवं परीक्षण तथा सम्बन्धित कार्मिकों की खण्ड में एवं सम्बन्धित कार्य पर कार्यरत अवधि एवं लगाये गये समस्त आरोप तथा आरोपों की पुष्टि में लगाये गये साक्ष्यों की प्रतियों का गहनता से परीक्षण किये जाने के उपरान्त आरोप पत्र के आलेख में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के पदनाम के साथ–साथ नाम की मोहर अवश्य लगायी जाय।

उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II, (सिविल/ रा0मा0/ UEAP/ USRIP/ UDRP/ PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–I (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–I/II, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/यू0ई0ए0पी0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP /PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता (I.T.), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
7. विशेष कार्याधिकारी, प्रमुख अभियन्ता।

25/1/17

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
25.1.17

IT head (op.)
Upload
25/1/17